10/3/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। बावजुद सम्यक तामील प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता मोहनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपुत निवासी ढाणी कोलीवाला तन ग्राम श्यामपुरा तह. नीमकाथाना से सन् 1979 में जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र भूमि खसरा नम्बर 532 रकबा 14 बिस्वा की खरीद की। श्यामपुरा ग्रामदानी ग्राम घोषित हो जाने के कारण वादी क्रीत भूमि का नामान्तरकरण अपने पक्ष में अमल–दरामद नहीं करवा पाया। चूँकि अब श्यामपुरा ग्रामदानी की श्रेणी से मुक्त हो गया हैं अतः मुताबिक रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र 1979 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी के पक्ष में नामान्तरकरण अमल–दरामद किया जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र सन् 1979 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल एवं खाता संख्या 689 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की प्रति प्रस्तुत की हैं वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में स्वंय का नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। जिससे वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं वादी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी की वर्तमान में खातेदारी मोहनसिं पुत्र गोविन्दसिंह के नाम दर्ज हैं। वादी का कथन कि विवादित आराजी की खातेदारी वादी के नाम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावें की पुष्टि रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र सन् 1979 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल एवं खाता संख्या 689 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 से होती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(ब्रजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फॉरेस्ट ट्रेक) नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तह. नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 689 रकबा 0.18 है0 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम मुताबिक रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र सन् 1979 **मोहनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत हिस्सा पूर्ण** के स्थान पर **हजारीलाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

(ब्रजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फॉरेस्ट ट्रेक) नीमकाथाना

Scanned with CamScanner